नामांकन सुविधा (वैकल्पिक)

मैं.. निवासी .... जो कि बांड संख्या .... का धारक हूँ, निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ,

जिनका मेरी मृत्यु के पश्चात बांड पर अधिकार होगा/निम्नलिखित विनिर्दिष्ट बांड पर देय भुगतान राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।

नामांकित व्यक्तियों का विवरण							
क्र.सं.	जारी करने की तारीख	राशि	पुन: भुगतान की तारीख	नामांकित व्यक्ति का पूरा नाम तथा विस्तारित उप-नाम तथा पता	जन्म तिथि	धारक से संबंध	बैंक लेखा का विवरण

यदि नामनिर्देशित व्यक्ति अवयस्क है, तो कृपया निम्नलिखित लाइन भरें:

चूंकि .... उपर्युक्त नामनिर्देशित व्यक्ति इस तारीख को अवयस्क है, अत: मैं .... श्री/श्रीमति/कुमारी.. को मेरी मृत्यु होने पर उपर्युक्त नामांकित व्यक्ति .... (नामांकित व्यक्ति जो अवयस्क है) के अवयस्क बने रहने पर उपर्युक्त बांड --- पर देय धनराशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

नामांकन में परिवर्तन/रद्द करना: यह नामांकन मेरे द्वारा किए गए दिनांक .... के नामांकन के प्रतिस्थापन के संबंध में है, जो कि आपकी बही में................................ पर दर्ज है तथा जो इस नामांकन के दर्ज किए जाने के पश्चात रद्द हो जाएगा।

स्थान:

तारीख :

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(अंगूठे के निशान को दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए)

साक्षी:

पहले साक्षी का नाम ....

पता....................................

....

हस्ताक्षर...............................

दूसरे साक्षी का नाम ....

पता....................................

....

हस्ताक्षर...............................

फार्म- आईआईएनएसएस- सी

<बैंक का नाम >

<शाखा का नाम>

आवेदन संख्या

मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति - संचयी (आईआईएनएसएस- सी)
हेतु आवेदन पत्र

(जहां अपेक्षित हो √ का चिहन लगाएं। क्षेत्र '*'अनिवार्य हैं)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

आवेदन प्राप्ति की तारीख (दिनांक/माह/वर्ष)	**बीएलए सं0**	**सीआईएफ सं0**	**प्रमाणपत्र सं0**	**सरकारी खाते में जमा करने की तारीख** (दिनांक/माह/वर्ष)
शाखा का नाम व कोड				

आवेदक(कों) का/ के नाम [साफ अक्षरों में]

प्रथम आवेदक:श्री/श्रीमती/सुश्री	

अंतिम नाम   प्रथम नाम   मध्य नाम

[1]##विशेष पहचान (प्रथम आवेदक) आधार नं.………………… पासपोर्ट नं.…………………… ड्राइविंग लाइसेंस नं.……………………

द्वितीय आवेदक:श्री/श्रीमती/सुश्री	

अंतिम नाम   प्रथम नाम   मध्य नाम

तृतीय आवेदक:श्री/श्रीमती/सुश्री	

अंतिम नाम   प्रथम नाम   मध्य नाम

अभिभावक: श्री/श्रीमती/सुश्री	

अंतिम नाम   प्रथम नाम   मध्य नाम

अभिभावक का अवयस्क के साथ संबंध   [ ] पिता   [ ] माता   [ ] वैध अभिभावक

*जन्म - तिथि:प्रथम आवेदक (दिनांक/माह/वर्ष)………/………/……..…..लिंग: पुरुष/ महिला

*जन्म - तिथि: द्वितीय आवेदक (दिनांक/माह/वर्ष)………/………/..………….. लिंग: पुरुष/ महिला

*जन्म - तिथि: तृतीय आवेदक (दिनांक/माह/वर्ष)………/………/…………….. लिंग: पुरुष/ महिला

माता का नाम	

अंतिम नाम   प्रथम नाम   मध्य नाम

1##इनमें से काई एक दस्तावेज और एक आवेदक द्वारा कई निवेशों के मामले में, एक ही पहचान दी जानी चाहिए।

आवेदक का पत्राचार का पता:

टेलीफोन (कार्यालय/आवास)																												
ई-मेल का पता																												

स्थिति: [ ] निवासी व्यक्ति [ ] एचयूएफ

[ ] अवयस्क की ओर से [ ] पूर्त संस्थान

[ ] मुख्तारनामा धारक [ ] विश्वविद्यालय

निवेश की राशि: ₹…………………… (रुपये ……………………………………………………………………… केवल)

धारिता का तरीका: [ ] अकेले [ ] संयुक्त [ ] कोई अथवा जीवित

अंशदान का तरीका: [ ] नकद [ ] चैक/डिमांड ड्राफ्ट

चैक/डिमांड ड्राफ्ट नं0……………………… दिनांक………/………/…………… (बैंक/शाखा) पर आहरित
(दिनांक/माह/वर्ष)

……… (राशि)₹…………………………………

(रुपये…………………………………………………………………………………………………केवल)

*प्रथम आवेदक के बैंक का बयौरा:(ब्याज/ मोचन के भुगतान के लिए निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें।)

बैंक के खाते का विवरण: बैंक का नाम…………………………………………….. शाखा…………………………………………………

खाता संख्या											
बैंक और शाखा की नौ अंकीय कोड संख्या											
आईएफएससी कोड											

***द्वितीय** आवेदक के बैंक का ब्यौरा: (ब्याज/ मोचन के भुगतान के लिए निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें।)

बैंक के खाते का विवरण: बैंक का नाम…………………………………………….. शाखा…………………………………………………

खाता संख्या											
बैंक और शाखा की नौ अंकीय कोड संख्या											
आईएफएससी कोड											

*तृतीय आवेदक के बैंक का बयौरा: (ब्याज/मोचन के भुगतान के लिए निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें।)

बैंक के खाते का विवरण: बैंक का नाम…………………………………………….. शाखा…………………………………………………

खाता संख्या											
बैंक और शाखा की नौ अंकीय कोड संख्या											
आईएफएससी कोड											

***आय कर पैन का ब्यौरा[2@@]:**

	पैन	**आय कर सर्कल/ वार्ड/ जिला**
प्रथम आवेदक		
द्वितीय आवेदक		
तृतीय आवेदक		

हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप (प्रथम आवेदक) हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप (द्वितीय आवेदक) हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप (तृतीय आवेदक)

(अंगूठे की छाप दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो)

गवाह:

प्रथम गवाह का नाम……………………………………… द्वितीय गवाह का नाम……………………………………………

पता………………………………………………………… पता ………………………………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………………………

हस्ताक्षर…………………………………………… हस्ताक्षर……………………………………………………

[2@@] 50,000/- और इससे अधिक के निवेश के लिए पैन अनिवार्य है, सिवाय आयकर नियम 114 बी और सी के तहत प्रावधानों को छोडकर, जहां निवेशक फार्म सं0 60 (आयकर नियम114 ख) और/ अथवा फार्म सं0 61 (आयकर नियम114 ग), जैसा प्रयोजनीय हो, के तहत घोषणा करता है।

मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति - संचयी (आईआईएनएसएस- सी) के निवेशक द्वारा मुहैया कराने के लिए घोषणा- सह- वचन

मैं/ हम, प्रथम निवेशक, एतद्वारा घोषणा करते हैं व वचन देता/ देते हैं कि मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति - संचयी में मेरी/ हमारा निवेश:

1) एक व्यक्ति के रुप में

(क) एकल व्यक्ति की हैसियत से

(ख) संयुक्त आधार पर एकल व्यक्ति की हैसियत से

(ग) किसी एक अथवा जीवित व्यक्ति आधार पर एकल व्यक्ति की हैसियत से

(घ) पिता/ माता/ कानूनी अभिभावक के तौर पर नाबालिक की ओर से

(2) अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ)

(3) **पूर्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के तौर पर**

01 अप्रैल------------ से 31 मार्च------------ तक की 12- माह की अवधि के दौरान 5,00,000 (रु0 पांच लाख केवल) से अधिक नहीं है।

मैं/ हम, प्रथम निवेशक, यह भी घोषणा करते हैं व वचन देता हूं/ देते हैं कि मैं/ हम निवेश की सीमा का पालन करुंगा/ करेंगे जैसा केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर प्रावधान किया जाता है, जो 01 अप्रेल------------ से 31 मार्च------------ तक की 12- माह की अवधि के दौरान 5,00,000/-(रु0 पांच लाख केवल) है।

किसी भी मामले में, किसी भी समय, यदि कथित घोषणा असत्य/गलत पाई जाती है, मुझे/ हमें, अंशदाता को विनिर्धारित सीमा से अधिक पाई गई राशि पर कोई ब्याज न चुकाया जाए।

दिनांक: ....

स्थान : ....

अंशदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप

(अंगूठे की छाप दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो)

गवाह:

प्रथम गवाह का नाम..

पता...
....
....
....

हस्ताक्षर ....

द्वितीय गवाह का नाम ....

पता

हस्ताक्षर ....

एनईसीएस/एनईएफटी आदेश पत्र

(बैंक खाते की मोचन राशि/ब्याज जमा करने हेतु)

1. प्रथम आवेदक का नाम

श्री/श्रीमती/सुश्री																													

अंतिम नाम प्रथम नाम मध्य नाम

2. बैंक के खाते का विवरण: बैंक का नाम…………………………………………….. शाखा…………………………………………………..

बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चैक पर बैंक व शाखा की नौ अंक की कोड सं0											
आईएफएससी कोड											

(कृपया कोड सं0 के सत्यापन के लिए बैंक द्वारा आपको जारी किए गए चैक की एक छायाप्रति अथवा कैंसिल चैक संलग्न करें।)

3. खाते का प्रकार [ ] बचत खाता [ ] चालू खाता

खाता सं0															
लेजर सं0															
लेजर पृष्ठ सं0															

मैं, एततद्वारा,………………………………………………………………..……………(बैंक का नाम), एनईसीएस/ एनईएफटी के माध्यम से अपने ब्याज / मोचन राशि को जमा कराने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूं। मैं, एततद्वारा, घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दिया गया विवरण सही और पूर्ण है। यदि अपूर्ण अथवा गलत सूचना के कारण लेन-देन में विलंब होता है, मैं इसके लिए प्रयोगकर्ता संस्थान को दोषी नहीं ठहराउंगा। मैं, एतद्वारा, स्कीम के तहत प्रतिभागी के तौर पर मुझसे अपेक्षित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने को सहमत हूं।

दिनांक: …………………………
स्थान : …………………………

अंशदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप
(अंगूठे की छाप दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो)

गवाह:

प्रथम गवाह का नाम……………………………………………

पता………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

हस्ताक्षर ………………………………………………………………

द्वितीय गवाह का नाम ……………………………………………

पता
………………………………………………………………………………

हस्ताक्षर ……………………………..…….……………………………

बैंक प्रमाणीकरण (अपेक्षित नहीं, यदि चैक की छायाप्रति दी गई है।)

……..…………………

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

(दिनांक,बैंक की मुहर व प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

गैर विभाजित हिंदू परिवार घोषणा फार्म

(अनिवार्य, यदि आवेदक गैर विभाजित हिंदू परिवार में कर्ता है।)

मैं,.., प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते का निवासी,सत्यनिष्ठतापूर्व यह घोषणा करता / करती हूं कि मैं गैर विभाजित हिंदू परिवार में कर्ता हूं और इस हैसियत से मुझे गैर विभाजित हिंदू परिवार के नाम से मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति - संचयी (आईआईएनएसएस- सी) को बेचने, पृष्ठांकित, हस्तांतरित अथवा अन्य कुछ करने की पूर्ण शक्ति हैं।

गैर विभाजित हिंदू परिवार के लिए और उनकी ओर से नमूना हस्ताक्षर (गैर विभाजित हिंदू परिवार का नाम) ....

(गैर विभाजित हिंदू परिवार की मुहर सहित कर्ता का नाम)

स्थान:..............................

तारीख: ....

मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति- संचित (।।एनएसएस-सी) में निवेशकों के लिए जानकारी

भारत सरकार ने दिनांक 19 दिसंबर, 2013 के अपनी अधिसूचना एफ. सं. 4(10) डब्ल्यू एंडएम/2003 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ 4 (16)-डब्ल्यू एण्ड एम/2012 के अंतर्गत मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति- संचित (।।एनएसएस-सी) शुरू किया है। इस योजना के मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं:-

मद	मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति- संचित	टिप्पणी
1) निवेशक की श्रेणी	एकल व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, विश्वविद्यालय, धर्मार्थ संस्था	इन बांडों में निवेश के लिए अनिवासी भारतीय पात्र नहीं है।
2) निवेश की सीमा	न्यूनतम 5000/- रूपए तथा अधिकतम 500000/- रूपए प्रतिवर्ष प्रति निवेशक	
3) बांड जारी करने की तारीख	निधि- प्राप्त करने की तारीख/चैक/ड्रफ्ट की रकम खाते में आने की तारीख	
4) बांड के प्रपत्र	डीमैट	बांड बही खाता
5) ब्याज का विकल्प	संचित अर्थात ब्याज समय पूरा होने पर (परिपक्वता पर) देय है	अर्द्ध वार्षिक ब्याज (चक्रवृद्धि)
6) परिपक्वता के बाद ब्याज	परिपक्वता के बाद ब्याज देय नहीं है	
7) बैंक लेखा	निवेशक के लिए यह अनिवार्य है कि वह बैंक खाते का ब्यौरा दे ताकि ब्याज/परिपक्वता राशि का भुगतान करना आसान हो सके।	
8) नामांकन सुविधा	पूर्ण धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं	एकल अनिवासी भारतीय सहित
9) परिपक्वता अवधि	10 वर्ष के पश्चात	
10) समयपूर्व मोचन	वरिष्ठ नागरिकों अर्थात 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए जारी हाने की तारीख से एक वर्ष पश्चात तथा शेष के लिए जारी होने की तारीख से 3 वर्ष पश्चात	अंतिम भुगतान कूपन के 50 प्रतिशत की दर से जुर्माना प्रभार/केवल कूपन तारीखों पर अनुमत्य
11) अंतरणीयता	धारक की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति तक सीमित (केवल एक व्यक्ति के लिए)	
12) इन बचत बांडों की प्रतिभूति पर बैंकों से ऋण	इन प्रतिभूतियों के धारक, अनुसूचित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, एन.बी.एफ.सी. के पक्ष में शपथ, गिरवी अथवा लियन रख सकेंगे।	
13) आवेदन पत्र	भारतीय स्टेट बैंक तथा सम्बद्ध बैंकों की शाखांए, 20 राष्ट्रीय कृत बैंक, निजी क्षेत्र के 3 बैंक अर्थात एचडीएफसी बैंक लि., आईसीआईसीआई बैंक लि., और एक्सिस बैंक लि. तथा स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	

<u>निवेशक/ आवेदक के कर्तव्य</u>

(क) कृपया आवेदन पूर्ण रूप से भरें।

(ख) अधूरे भरे गए आवेदन से प्रतिभूति के (जारी होने में विलम्ब हो) निवेशक को नुकसान होगा।

(ग) यदि आवेदन मुख्तार नामा धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है मूल मुख्तारनामा की अनुप्रमाणित प्रति के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।

(घ) यदि आवेदन अवयस्क की तरफ से है तो स्कूल अथवा नगर निगम प्राधिकारी का जन्म का मूल-प्रमाण-पत्र अनुप्रमाणित प्रति के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।

(ङ) कृपया यह नोट करें कि नामांकन की सुविधा इस बान्ड के एकमात्र धारक अथवा सभी संयुक्त धारकों (निवेशकों) को है।

(च) यदि नामनिर्देशित व्यक्ति अवयस्क हैं तो कृपया उसकी जन्म तिथि लिखें तथा इसके लिए अभिभावक भी नियुक्त किया जा सकता है।

(छ) यदि निवेश अवयस्क की तरफ से है तो नामाकंन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(ज) कृपया पते में परिवर्तन से यथाशीघ्र अवगत कराएं।

(झ) परिपक्वता तिथि के पश्चात ,परिपक्वता बाद का ब्याज देय नहीं होगा। अतः देय तारीख पर भी धनराशि वापस लें।

(ञ) कृपया अपनी जन्म तिथि/दर्शाएं।

(ट) इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाएं।

(ठ) कर लागू होने सम्बंधी कोई भी जानकारी बैंक/शाखा को दी जाए।

निवेशक के अधिकार

(क) बान्ड प्रमाणपत्र निधि प्राप्त होने/चैक/ड्राफ्ट की रकम खाते में जमा होने की तारीख को जारी किया जाएगा।

(ख) बान्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज ,अर्द्ध वार्षिक दर से लगाया जाएगा। आवेदक द्वारा उसके आवेदन में दिए गए ब्यौरे के अनुसार (मूलधन और ब्याज) परिपक्वता घनराशि को धारक के बैंक खाते में सीधे भिजवा दिया जाएगा।

(ग) बान्ड की देय तारीख के एक माह पूर्व परिपक्वता सूचना भिजवा दी जाएगी

(घ) ब्याज और मूलधन के निशुल्क डिमांड ड्राफ्ट अथवा समतुल्य चैक पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

(ङ) अन्तर बैंक शाखा अथवा अन्तर बैंक शाखा में बाण्ड के अंतरण की सुविधा उपलब्ध है।

(च) आईआईएनएसएस-सी बाण्ड के सम्बंध में निवेश मोचन, एनईसीएस/एनईएफटी अधिदेश आदि के लिए आवेदन पत्र वैबसाईट www...................................com (बैंक और एसएचसीआईएल बैबसाइट) पर उपलब्ध है।

(छ) एकमात्र धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, बाण्ड के अधिकार के संबंध में एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकता है। अनिवासी भारतीयों को भी नामनिर्देशित किया जा सकता है।

(ज) नामांकन जारी किए जाने वाले कार्यालय में दर्ज किया जाएगा तथा धारक को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(झ) नया नामांकन दर्ज करवा कर नामांकन में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ञ) जारी करने वाले कार्यालय को अनुरोध करके मौजूदा नामांकन को रद्द करवाया जा सकता है।

(ट) निवेश की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने पर मोचन हो सकेगा अगर समयपूर्व परिपक्वता लागू नहीं हो।

(ठ) धनराशि वापस लेने के अनुरोध की तारीख से पांच कार्य दिवस के भीतर निवेशक भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा।

(ड) ब्याज / धनराशि वापस लेने में विलंब से बचने के लिए आवेदक, अर्धवार्षिक ब्याज/ परिपक्वता पर धनराशि के एनईसीएस/एनईएफटी/ आरटीजीएस अथवा बैंक खाते में सीधे क्रेडिट करने का विकल्प दे सकेगा।

(ढ) निवेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके परिपत्रों के माध्यम से समय -समय पर जारी दरों पर विलंब भुगतान के (राहत और बचत बाण्ड के संबंध में) लिए प्रतिपूर्ति का हकदार है।

(ण) यदि बैंक उपर्युक्त अनुपालन नहीं करता है तो आप रिजर्व बैंक के नजदीकी कार्यालय को निम्नानुसार लिखित में शिकायत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
ग्राहक सेवा विभाग/बैंकिंग लोकपाल
(स्थान)

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को संबोधित कर सकते हैं:-
मुख्य महा प्रबंधक प्रभारी
सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय,
भयखला, सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने
मुंबई 400 008, महाराष्ट्र

डिस्क्लेमर:- मैंने निवेशक की जानकारी का ब्योरा तथा अधिकार और कर्तव्य पढ़ और समझ लिए हैं। एजेंट/ बैंक ने इस योजना के पहलुओं से मुझे अवगत करा दिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

-- यहां से फाडे --------------------------------------

आवेदन प्रपत्र की पावती

आवेदन सं0

बैंक शाखा.. दिनांक ..../........./.....................

श्री/श्रीमती/सुश्री.. से राष्ट्रीय बचत मुद्रास्फीति निर्देशित प्रतिभूति की खरीद के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए.. रुपये नकद/ऑनलाइन/इंटरनेट बैंकिंग/ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर/ चैक संख्या ....दिनांक ....../........./............ (बैंक और शाखा) से प्राप्त हुए। इन पर-------------------रूपए (रुपये .... केवल) की नाममात्र कीमत पर संचयी आधार पर ब्याज देय है।

तारीख, बैंक की मुहर, तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र I

भारत सरकार

धारिता का प्रमाणपत्र

मुद्रास्फीति निर्देशत राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियां-संचित (आईआईएनएसएस-सी)

प्रमाणित किया जाता है कि (अभिदानकर्त्ता का नाम) (निवेशक आईडी) मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियों-संचित (आईआईएनएसएस-सी) का धारक है जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया हैः

प्रमाणपत्र आईडी	राशि	यूनिटों की संख्या	निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	निवेशक बैंक आई एफ एस सी	निवेश आई डी	नामित व्यक्ति
1.							
2.							

अदायगी खाता का ब्यौरा :

खाता सं. :

आई एफ एस सी :

खाता नाम :

यह दिनांक - की भारत सरकार की अधिसूचना में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन जारी किया गया है।

कम्प्यूटर से निकाली गई प्रति- हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।